न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील सख्या 138 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 138

अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

1. शान्ति देवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. विजय सिंह पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

—: अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुदेश गोदारा पुत्री मदनलाल पत्नी हनुमान गोदारा जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील कालावाली जिला सिरसा (हरियाणा)

—: असल रेस्पोडेन्टान

2. लक्ष्यवीर पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. काव्या पुत्री विजय सिंह जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
4. अनिता रानी पत्नी विजय सिह जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: तरतीबी रेस्पोडेन्टान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर संगरिया, निर्णय दिनांक 25.01.2017, प्रकरण सख्या 377/2016, अनवान लक्ष्यवीर आदि बनाम शान्ति देवी आदि

उपस्थिति –

श्री खुशप्रीत सिह सन्धू अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री शमशेर सिंह सन्धू अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 1

श्री विश्वजीत सिह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 5 व 6

निर्णय दिनांक 29.9.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि विचारणीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान कातकारी अधिनियम व धारा 136 एल.आर.एक्ट इन कथनो के साथ पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा चक 4 डीएलपी, 6 डीएलपी, 5 एलएलडब्लयू में परिवार की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त आराजी जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण का हक व हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी सख्या 1 व 2 (अपीलान्टान) के नाम दर्ज आराजी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट सख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से 14 बीघा व अपीलान्ट संख्या 2 के नाम दर्ज आराजी में से 16 बीघा आराजी घोषित करवा ली, जिससे व्यथित होकर अपीलार्न्थीगण ने यह अपील इन तथ्यो के साथ पेश की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश अपने नाम अपीलान्ट सख्या 1 की आराजी में से 14 बीघा आराजी तथा अपीलान्ट सख्या 2 की आराजी में से 16 बीघा आराजी की घोषणा अपने नाम करवाई है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलान्ट सख्या 1 के पति व अपीलान्ट सख्या 2 के पिता श्री मदनलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें मदनलाल के फौत होने उपरान्त रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा अपना हक त्याग किया गया तथा हक त्याग करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपरान्त अपीलान्टान के नाम उक्त वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई तथा एक बार हक त्याग करने उपरान्त पुनः उसी आराजी बाबत रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का कानूनन किसी प्रकार का हक हिस्सा नही बनता था तथा अपीलान्टान की सहमति से कोई जवाब दावा नही लिखा गया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा अपीलान्टान के हस्ताक्षर कुछ खाली कागजात पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करवाये थे कि फसल खराबी का मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपीलान्टान के हस्ताक्षरो की आवश्यकता है तथा अपीलान्टान ने रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के साथ खून का रिश्ता होने के कारण विश्वास कर हस्ताक्षर किये थे, जिसका दुरूपयोग कर अपीलान्टान के हक व हिस्सा को मारने की नियत से रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा अपने नाम अपीलान्टान के नाम की 30 बीघा आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को जद्दी जायदाद मानते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया परन्तु जद्दी जायदाद होने के सम्बन्ध मे कोई सबूत विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया तथा अपील धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की हद तक निरस्त करवाने का अनुतोश चाहा।

2. अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजनीमा इन कथनो के साथ पेश किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2017 के जरिये रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम घोषित हिस्से की हद तक अपास्त फरमाते हुए चक नम्बर 6 डीएलपी तहसील संगरिया के खाता सख्या 81/19, खाता सुदेश गोदारा आदि, जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के पत्थर नम्बर 143/195 (51) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.025, 14/.253, 15/1/.228, 15/2/.025, पत्थर नम्बर 144/195 (50) किला नम्बर 7, 11 ता 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 20/.253 हैक्टेयर कुल 3.542 हैक्टेयर अपीलान्ट संख्या 1 शान्ति देवी पत्नी मदनलाल के नाम तथा चक 5 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 113/92, खाता सुदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

गोदारा, जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के पत्थर नम्बर 145/218 (19) किला नम्बर 5/1/.228, 5/2/.025, 6, 14, 15/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 146/218 (20) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.203, 5/2/.050, 6/1/.228, 6/2/.025, 8, 9, 10 ता 13/.253 हैक्टेयर कुल 4.048 हैक्टेयर अपीलान्ट सख्या 2 विजय सिह पुत्र मदनलाल के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत पक्षकारान सहमत है तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 के पक्ष में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखने बाबत पक्षकारान सहमत है। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 के अधिवक्ता द्वारा राजीनामें बाबत सहमति प्रदान की।

3. उभय पक्ष द्वारा बहस की गई तथा बहस में मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।
5. धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने एंव अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
6. अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4 ने भी राजीनामा बाबत अपनी सहमति प्रकट की। इस कारण अपीलार्थीगण की अपील मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेशण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एंव उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलैक्टर संगरिया द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2017 को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम घोषित हिस्से की हद तक अपास्त फरमाते हुए चक नम्बर 6 डीएलपी तहसील संगरिया के खाता सख्या 81/19, खाता सुदेश गोदारा आदि, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 143/195 (51) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

025, 14/.253, 15/1/.228, 15/2/.025, पत्थर नम्बर 144/195 (50) किला नम्बर 7, 11 ता 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 20/.253 हैक्टेयर कुल 3.542 हैक्टेयर अपीलान्ट संख्या 1 शान्ति देवी पत्नी मदनलाल के नाम तथा चक 5 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 113/92, खाता सुदेश गोदारा, जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के पत्थर नम्बर 145/218 (19) किला नम्बर 5/1/.228, 5/2/.025, 6, 14, 15/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 146/218 (20) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.203, 5/2/.050, 6/1/.228, 6/2/.025, 8, 9, 10 ता 13/.253 हैक्टेयर कुल 4.048 हैक्टेयर अपीलान्ट सख्या 2 विजय सिह पुत्र मदनलाल के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील सख्या 138/2022

आरसीएमएस नं. 2022/138

अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

1. शान्ति देवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. विजय सिंह पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

—: अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुदेश गोदारा पुत्री मदनलाल पत्नी हनुमान गोदारा जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील कालावाली जिला सिरसा (हरियाणा)

—: असल रेस्पोडेन्टान

2. लक्ष्यवीर पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. काव्या पुत्री विजय सिंह जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
4. अनिता रानी पत्नी विजय सिह जाति जाट निवासी ढाणी 4 डीएलपी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: तरतीबी रेस्पोडेन्टान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

संगरिया, निर्णय दिनांक 25.01.2017, प्रकरण सख्या 377/2016, अनवान लक्ष्यवीर आदि बनाम शान्ति देवी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री खुशप्रीत सिह सन्धू अभिभाषक अपीलार्थीगण, श्री शमशेर सिंह सन्धू अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 1, श्री विश्वजीत सिह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 4, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 5 व 6 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एंव उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलैक्टर संगरिया द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2017 को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम घोषित हिस्से की हद तक अपास्त फरमाते हुए चक नम्बर 6 डीएलपी तहसील संगरिया के खाता सख्या 81/19, खाता सुदेश गोदारा आदि, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 143/195 (51) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.025, 14/.253, 15/1/.228, 15/2/.025, पत्थर नम्बर 144/195 (50) किला नम्बर 7, 11 ता 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 20/.253 हैक्टेयर कुल 3.542 हैक्टेयर अपीलान्ट संख्या 1 शान्ति देवी पत्नी मदनलाल के नाम तथा चक 5 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 113/92, खाता सुदेश गोदारा, जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के पत्थर नम्बर 145/218 (19) किला नम्बर 5/1/.228, 5/2/.025, 6, 14, 15/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 146/218 (20) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.203, 5/2/.050, 6/1/.228, 6/2/.025, 8, 9, 10 ता 13/.253 हैक्टेयर कुल 4.048 हैक्टेयर अपीलान्ट सख्या 2 विजय सिह पुत्र मदनलाल के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 29.9.22 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

29/9/22

(करतार सिंह पुनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ